न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0
पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
107/2024	26.11.2024	17.06.2025

बउनवान

1. कमलावती देवी पत्नी श्योदान जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

<u>अप्रार्थी</u>

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि उक्त आराजी ख0न0 906 रकबा 0.25 हैक0, 904 रकबा 0.08 हैव०, किता 2 रकबा 0.33 हैक0 का 15/108 भाग, ख0न0 915 रकबा 0.25 हैक0, 916 रकबा 0.25 हैक0, 917 रकबा 0.23 हैक0, 918 रकबा 0.24 है०, किता 4 रकबा 0.97 हैक०, का 1/27 भाग, ख0न0 895 रकबा 0.27 हैक०, 900 रकबा 0.25 हैक0, 901 रकबा 0.25 हैक0, 905 रकबा 0.08 हैक०, किता 4 रकबा 0.85 हैक० का 15/108 भाग तथा ख0न0 752 रकबा 1.07 हैक० का 1/3 का 5/7 हिस्सा वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (अलवर) राजस्थान में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आ0 कहलायेगी।
2. यह है कि आ० हाल ख0न0 906 रकबा 0.25 हैक0, 904 रकबा 0.08 हैक0, किता 2 रकबा 0.33 हैव0 का 15/108 भाग, ख0न0 915 रकबा 0.25 हैव0, 916 रकबा 0.25 हैक0, 917 रकबा 0.23 हैक0, 918 रकबा 0.24 है, किता 4 रकबा 0.97 हैक०, का 1/27 भाग, ख0न0 895 रकबा 0.27 हैक0, 900 रकबा 0.25 हैक0, 901 रकबा 0.25 हैक0, 905 रकबा 0.08 हैक0, किता 4 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर का 1/4 भाग दिनांक 18/06/2012 को जयें रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया तथा आ0 हाल ख0न0 752 रकबा 1.07 हैक० का 1/3 का 5/7 हिस्सा वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

श्रीकृष्णनगर दिनांक 08/11/2004 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था मिन वादीया के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड इत्यादि में कमलावती देवी पत्नी श्योदान दर्ज है चूंकि मिनवादीया को गांव में कमलावती व कलावती दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है मिनवादीया अनपढ महिला है जो मुश्किल से हस्ताक्षर करना जानती है वैयनामा लिखवाते समय गांव के पढे लिखे व्यक्ति जो साथ गये थे उन्होने बैयनामा टाईप करने वाले को जो नाम (कलावती) बताया वह वैयनामा में लिखा गया वादीया द्वारा कराये गये वैयनामा की तारीख को केता की आई० डी० सम्बन्धी दस्तावेज की जांच किया जाना आवश्यक नहीं था इस कारण से टाईप राईटर द्वारा सहवन से की गयी त्रुटि सहित उक्त दोनो बैयनामा तस्दीक हो गये और उसी अनुसार त्रुटि शुदा बैयनामा वादीया का नाम (कलावती पत्नी श्योदान) ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया तथा हाल ख0न0 906, 904, 915, 916, 917, 918, 895, 900, 901, 905, के राजस्व रिकार्ड में गांव में बोलता नाम कलावती होने के कारण कमलावती के बजाय सहवन से कलावती दर्ज हो गया। जबकि यादीया का सही नाम सभी दस्तावेजो में कमलावती है, राजस्व रिकार्ड में कलावती सहवन से गलत दर्ज चला आ रहा है तथा आराजी ख0न0 915 ल0 918 रकबा 0.97 है0 का 1/27 का 1/2–1/2 भाग खरीद किया जिसमें प्रार्थिया का 1/54 के बजाय 1/108 हिस्सा दर्ज कर दिया जो प्रार्थीगण के हिस्से तक प्रार्थीगण/वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है काबिल दुरुस्ती है।

3. यह है कि मिन वादीया नं0 1 को गांव में कमलावती व कलावती दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है मिन वादीया अनपढ ग्रामीण महिला है जिसकी पहचान सम्बन्धी सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड व जनआधार कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में सदैव से कमलावती पत्नी श्योदान दर्ज है लेकिन गांव में बोलता नाम कलावती होने के कारण उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में सहवन से कलावती पत्नी श्योदान दर्ज हो गया तथा आ० ख0न0 752 रकबा 1.07 का 1/3 भाग का 5/7 हिस्सा वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर दिनांक 8/11/2004 को व ख0न0 906, 904, 915, 916, 917, 918, 895, 900, 901, 905, का दिनांक 18/06/2012 को बैयनामा कराते समय कलावती पत्नी श्योदान बताया गया तथा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कलावती पत्नी श्योदान कर दिया जो गलत है मिन वादीगण के हक व अधिकारों के विरुद्ध बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है काबिल दुरुस्ती है।

4. यह है कि वादीगण की आराजी विवादित उक्त ख० नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में त्रुटि होने से मिन वादीगण की स्वयं की कब्जेकाश्त खातेदारी की कृषि भूमि के बाबत सरकार से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभप्रधानमंत्री योजना से मिलने वाली राशि तथा कृषि ऋण जैसे लाभ

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मिन वादीया नहीं प्राप्त कर पा रही है वादीया ने अपने राजस्व रिकार्ड में नाम कमलावती के स्थान पर गलत नाम जो कलावती दर्ज है को दुरुस्त कराने का प्रति० न० 1 के समक्ष पिछले 2 वर्ष की अवधि में कई बार उप० होकर प्रयास किया, लेकिन अप्रार्थी नं० 1 या अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी वगैरा ने कभी भी प्रार्थीया को उचित सलाह नहीं दी तथा ना ही प्रार्थिया के राजस्व रिकार्ड में चल रही त्रुटि को दुरूस्त किया, आज कल करके दि० 12/11/24 को अप्रार्थी न0 1 ने स्पष्ट इंकार कर दिया कि तुम्हारे रिकार्ड की त्रुटि हम ठीक नही कर सकते तथा अदालत के आदेश लाने को कहा तो अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैरैवेन्यू एक्ट 1956 पेश करना आवश्यक आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र/वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण/वादीगण का नाम आराजी हाल ख0 न0 906 रकबा 0.25 हैक०, 904 रकबा 0.08 हैक0, किता 2 रकबा 0.33 हैक० का 15/108 भाग, ख0न0 915 रकबा 0.25 हैक0, 916 रकबा 0.25 हैक0, 917 रकबा 0.23 हैक0, 918 रकबा 0.24 हैक०, किता 4 रकबा 0.97 हैक०, का 1/27 भाग, ख0न0 895 रकबा 0.27 हैक0, 900 रकबा 0.25 हैक0, 901 रकबा 0.25 है0, 905 रकबा 0.08 है०, किता 4 रकबा 0.85 हैक0 का 15/108 भाग तथा ख0न0 752 रकबा 1.07 हैक0 का 1/3 का 5/7 हिस्सा वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज० के राजस्व रिकार्ड में कलावती पत्नी श्योदान के स्थान पर कमलावती पत्नी श्योदान दर्ज किये जाने व ख0न0 915 ल0 918 किता 4 रकबा 0.97 है0 में प्राथिया का 1/108 दर्ज के स्थान पर 1/54 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे, इसी प्रकार तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। श्रीमान की महति कृपा होगी।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन जमाबन्दी, नामान्तकरण, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, की प्रति पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में प्रार्थीया का नाम कलावती पत्नी श्योदान दर्ज है, परन्तु प्रार्थी के दस्तोवजात में कमलावती पत्नी श्योदान दर्ज है। जो सही है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कलावती पत्नी श्योदान के स्थान पर कमलावती पत्नी श्योदान राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तोवजात व प्रार्थीया वकील की बहस पर मनन करने पर विवचेन इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम कलावती पत्नी श्योदान ना होकर कमलावती पत्नी श्योदान है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी हाल ख0 न0 906 रकबा 0.25 हैक्०, 904 रकबा 0.08 हैक0, ख0न0 915 रकबा 0.25 है0, 916 रकबा 0.25 हैक0, 917 रकबा 0.23 हैक0, 918 रकबा 0.24 है0, ख0न0 895 रकबा 0.27 है0, 900 रकबा 0.25 है0, 901 रकबा 0.25 है0, 905 रकबा 0.08 है०, व ख0न0 752 रकबा 1.07 हैक0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में दर्ज कलावती पत्नी श्योदान को हजफ कर उसके स्थान पर कमलावती पत्नी श्योदान राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner